

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) की अध्यक्षता में 07.07.2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित एसईजेड (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

1. श्री राजेश कुमार, डीडीसी (DDC), एनएसईजेड (NSEZ)
2. श्री रवींद्र सिंह, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, गुरुग्राम
3. श्री अशोक कुमार, आईईओ (IEO), उद्योग विभाग, गुरुग्राम
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कार्यालय डीजीएफटी (DGFT), सीएलए (CLA), नई दिल्ली
5. श्री राकेश बनल, कार्यालय डीटीसीपी (DTCP) हरियाणा के प्रतिनिधि

- इसके अलावा बैठक के दौरान (i) श्री अशोक कुमार, निर्दिष्ट अधिकारी, (ii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, एडीसी (ADC), (iii) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, स्टेनो ग्रेड II और (iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी (UDC) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

- प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / विकासक / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

1. दिनांक 02.06.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन: -

चूंकि 02.06.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 02.06.2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 2: अधिकृत कार्यों के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव।

2.1 M/s कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।

2.1.1. M/s कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम टिकरी, सेक्टर -48, जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटी / आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) के विकासक ने अपने एसईजेड (SEZ) में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।:-

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची पर क्रमांक संस्थान संख्या के अनुसार 50 और 54	अनुमानित लागत (रुपये लाख)
I.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	45.50
II.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के	04	10.50

राजेश

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची पर क्रमांक संस्थान संख्या के अनुसार 50 और 54	अनुमानित लागत (रुपये लाख)
	आवश्यक सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।		
III.	प्रसंस्करण क्षेत्र की एयर कंडीशनिंग	21	211.20
IV.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	49.00
V.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियां और उपयुक्त क्षमता के जल चैनल।	02	2.00
VI.		कुल	318.20

2.1.2. श्री जय कुमार और श्री अमरीक सिंह, M/s कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.1.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' माल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.2. M/s डीएलएफ (DLF) संपत्ति लिमिटेड।

2.2.1. M/s डीएलएफ (DLF) एसेट्स लिमिटेड के सह विकासक ने डीएलएफ (DLF) लिमिटेड के आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर-30, गुरुग्राम (हरियाणा) में उक्त एसईजेड (SEZ) में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची पर क्रमांक संस्थान संख्या के अनुसार 50 और 54	अनुमानित लागत (रुपये लाख)
i.	डीजी (DG) समूह के माध्यम से बिजली उत्पादन और पावर बैकअप सुविधाएं।	बीओए (BoA) द्वारा स्वीकृत	29.83

2.2.2. श्री तिलक खुराना, महाप्रबंधक, श्री पीताम्बर शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक एवं सुश्री निधि तिवारी, वास्तुकार, M/s डीएलएफ (DLF) एसेट्स लिमिटेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.2.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' माल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.3. M/s डीएलएफ (DLF) पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड।

राजेश

2.3.1. M/s डीएलएफ (DLF) पावर और सर्विसेस लिमिटेड के सह विकासक ने डीएलएफ (DLF) लिमिटेड के आईटी/ आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ), ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर-30, गुरुग्राम (हरियाणा) में उक्त एसईजेड (SEZ) में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची पर क्रमांक संस्थान संख्या के अनुसार 50 और 54	अनुमानित लागत (रुपये लाख)
i.	अभियांत्रिकी, सहित रखरखाव विद्युतीय और यांत्रिक कार्य, गरम करना, वेंटिलेशन और वातानुकूलन (एचवीएसी/HVAC) सिस्टम, आग खोज एंड खतरे की घंटी, जलापूर्ति, आंधी, जलनिकास और मलजल निपटान, बिल्डिंग रखरखाव सेवाएं जिसमें लिफ्ट लॉबी, सम्मेलन कक्ष, पार्किंग क्षेत्र का रखरखाव शामिल है, उपयोगिताओं क्षेत्र, कचरा और रद्दी माल निपटान, बागवानी, कीट नियंत्रण, मुखौटा सफाई सेवाएं।	बीओए (BoA) द्वारा अनुमोदित अधिकृत संचालन के अनुसार	26.42

2.3.2. श्री तिलक खुराना, महाप्रबंधक, श्री पीताम्बर शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक एवं सुश्री निधि तिवारी, वास्तुकार, M/s डीएलएफ (DLF) पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.3.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' माल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.4. M/s डीएलएफ (DLF) पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड।

2.4.1. M/s डीएलएफ (DLF) पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड, सह विकासक ने M/s डीएलएफ (DLF) लिमिटेड के आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ), ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर-30, गुरुग्राम (हरियाणा) में निम्नलिखित अनुमोदित अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए शुल्क मुक्त आयात/240 केएल (KL) एचएसडी (HSD) की खरीद के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाख)
i.	प्रसंस्करण क्षेत्र में गैस टर्बाइन आधारित बिजली उत्पादन सेट स्थापित करने और चालू करने के लिए सह-उत्पादन संयंत्र की 60 मेगावाट क्षमता की स्थापना। (240 किलो लीटर एचएसडी)	184.81

2.4.2. वणिज्य मंत्रालय (DOC) द्वारा जारी बिजली दिशानिर्देशों के संदर्भ में (पत्र संख्या P.6/3/2006-SEZ(Vol-III) दिनांक 16.02.2016), सह-विकासक ने 2021-22 के दौरान एसईजेड (SEZ) इकाइयों के लिए बिजली की आपूर्ति और ऐसे बिजली उत्पादन के लिए एचएसडी (HSD) की खपत का माह-वार (Month /wise) विवरण, अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित, की निम्नलिखित प्रस्तुति की है: -

२/१२/२१

अवधि	SEZ (KWH) के भीतर इकाइयों को आपूर्ति की गई बिजली	SEZ इकाइयों को आपूर्ति की गई औसत मासिक बिजली (KWH)	औसत मासिक एचएसडी (HSD) आवश्यकता 759768 किलोवाट बिजली उत्पन्न करने के लिए
वित्तीय वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022)	9117218	759768	240 KL (1 लीटर एचएसडी (HSD) बिजली की 3.17 किलोवाट यूनिट उत्पन्न करता है)

2.4.3. श्री तिलक खुराना, महाप्रबंधक, श्री पीताम्बर शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक और सुश्री निधि तिवारी, वास्तुकार, M/s डीएलएफ (DLF) पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.4.4. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 240 KL (240000 लीटर) हाई स्पीड डीजल (एचएसडी/HSD) की कर/शुल्क मुक्त खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या पी.6/3/2006-एसईजेड (SEZ) (वॉल्यूम-III) दिनांक 16.02.2016) द्वारा जारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि डीजल की मासिक शुल्क मुक्त खरीद प्रति माह 20 KL (2000 लीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए और डीजी (DG) सेट के माध्यम से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति केवल एसईजेड (SEZ) के भीतर ही की जाएगी।

2.5. M/s एसएफ (ASF) इंसिगनिया एसईजेड (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड (विकासक)।

2.5.1. एसएफ (ASF) इंसिगनिया एसईजेड (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड, विकासक ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ), ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम (हरियाणा) के उक्त एसईजेड (SEZ) में निम्नलिखित चूक अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची पर क्रमांक संस्थान संख्या के अनुसार 50 और 54	अनुमानित लागत (रुपये में लाख)
1	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	23.61
2	प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन।	बीओए (BOA) द्वारा स्वीकृत	26.95
3	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), मल लाइनें, तूफानी जल नालियां और उपयुक्त क्षमता के जल चैनल।	02	21.84
4	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।	04	34.67
5	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	13.05
6	छिड़काव, अग्नी और धूम्र संसूचक के साथ अग्नी सुरक्षा प्रणाली।	07	8.49
7	मल और कचरा निपटान, मल उपचार संयंत्रों के लिए पाइपलाइन और अन्य आवश्यक बुनियादी	03	1.50

ए. जेश

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची पर क्रमांक संस्थान संख्या के अनुसार 50 और 54	अनुमानित लागत (रुपये में लाख)
	ढांचे सहित ठोस और तरल अपशिष्ट संग्रह, उपचार और निपटान संयंत्र।		
8	साइट की परिधि के भीतर और आसपास के प्रवेश, निकास और अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट आदि।	11	3.22
9	पावर (पावर बैकअप अप सुविधाओं सहित) (बीओए (BOA) द्वारा स्वीकृत) - PZ में	बीओए (BOA) द्वारा स्वीकृत	15.13
10	सुविधा प्रबंधन कार्यालय	बीओए (BOA) द्वारा स्वीकृत	2.97
		कुल	151.43

2.5.2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' किसी भी सामान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.6. M/s एसएफ (ASF) इंसिगनिया एसईजेड (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) - हाई स्पीड डीजल।

2.6.1. M/s एसएफ (ASF) इंसिगनिया एसईजेड (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड, विकासक ने ग्राम ग्वाल पहाड़ी, जिला में आईटी / आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) गुरुग्राम (हरियाणा) में निम्नलिखित अनुमोदित अधिकृत संचालन को आगे बढ़ाने के लिए 35.40 KL (35400 लीटर) हाई स्पीड डीजल (HSD) की कर / शुल्क मुक्त खरीद के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची पर क्रमांक संस्थान संख्या के अनुसार 50	अनुमानित लागत (रुपये में लाख)
i.	पावर (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) (प्रसंस्करण क्षेत्र में बीओए (BoA) द्वारा स्वीकृत) - 35.40 KL एचएसडी (HSD)	प्रसंस्करण क्षेत्र में बीओए (BoA) द्वारा स्वीकृत	27.36

2.6.2. अनुमोदन समिति ने दिनांक 03.02.2022 को हुई अपनी बैठक में, पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान, विकासक द्वारा दिखाया गया, 109080 लीटर (9 महीनों के लिए यानी 01.04.2021 से 31.12.2021 तक) की एचएसडी (HSD) खपत के आधार पर, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए '109.08 KL (109080) लीटर हाई स्पीड डीजल (HSD)' की शुल्क मुक्त खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। अब, विकासक ने पिछले वर्ष 2021-2022 (01.04.2021 से 31.03.2022) की पूरी अवधि के दौरान 144490.79 लीटर के एचएसडी (HSD) खपत विवरण प्रस्तुत किया है, जो वित्तीय अभियंता द्वारा विधिवत प्रमाणित है: -

अवधि	बिजली इकाई उत्पन्न और खपत
------	---------------------------

२/१२/२२

	कुल एचएसडी खपत मात्रा (लीटर)	खपत डीजी (DG) यूनिट (किलोवाट)	प्रति लीटर उत्पन्न इकाइयाँ
(01.04.2021 to 31.03.2022)	144490.79	496780	3.15
मासिक औसत	12040.90 लीटर प्रति माह		

2.6.3. विकासक ने अब पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान कुल एचएसडी (HSD) खपत के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष 35400 लीटर (144490.79 - 109080 = 35410.79 लीटर) की मात्रा के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2.6.4. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से 35.40 KL (35400 लीटर) हाई स्पीड डीजल (HSD) की कर/शुल्क मुक्त खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो एसईजेड सीमा शुल्क द्वारा विधिवत सत्यापित वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एचएसडी (HSD) खपत विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है। यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग, सरकार द्वारा जारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए दिशानिर्देशों के पैरा भारत के पत्र संख्या पी.6/3/2006-SEZ (वॉल्यूम-III) दिनांक 16.02.2016 के माध्यम से (vi) के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि डीजल की मासिक शुल्क मुक्त खरीद प्रति माह 12040.90 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और डीजी (DG) सेट के माध्यम से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति केवल एसईजेड के भीतर ही की जाएगी।

मद संख्या 3 आईटी अवसंरचना को साझा करने के प्रस्ताव: -

3.1 M/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। (Candor SEZ Unit)

3.1.1. M/s आर1 आरसीएम (R1 RCM) ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने, एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 27(5) के प्रावधानों के तहत, कैंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गांव टिकरी, सेक्टर 48, गुरुग्राम (हरियाणा) में, आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) के इमारत एक के चौथी मंजिल में स्थित, निर्मित आभासी निजी नेटवर्क ('VPN') बुनियादी ढांचे को गैर एसटीपीआई (STPI) इकाई के साथ साझा करने का निम्नलिखित: प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, -

इकाई का नाम	एलओए (LOA) विवरण	क्षेत्र और स्थान
M/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (गैर-STPI यूनिट)	गैर-एसटीपीआई (STPI) पंजीकरण संख्या एसटीपीआई /एनएस-सी STPI/NC-C) /22-23/623 दिनांक 09.05.2022।	8वीं मंजिल, यूनिट नंबर बी-801, दरवाजा नंबर 111, टावर-बी, कॉमर्जोन आईटी पार्क, सर्वे नंबर 25/3ए, 25/4एच5, 25/4एच6बी और 25/41, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरूर, चन्नई- 600116.

3.1.2. यह बताया गया कि अनुमोदन समिति ने दिनांक 20.05.2021 को हुई अपनी बैठक में, नियम 27(5) एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के संदर्भ में, M/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को, बिल्डिंग नंबर 1 के चौथी मंजिल पर स्थापित, आभासी निजी नेटवर्क (VPN) बुनियादी ढांचे को, अपनी गुरुग्राम, नोएडा और हैदराबाद के तीन एसईजेड (SEZ) और बेंगलूर में एक गैर-एसटीपीआई (STPI) इकाई से साझा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी,। अब इकाई ने चेन्नई में अपनी अन्य गैर एसटीपीआई (STPI) इकाई के साथ वीपीएन (VPN) बुनियादी ढांचे को साझा करने का प्रस्ताव दिया है।

3.1.3. श्री विमल शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक M/s R1 RCM Global Pvt Ltd वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुआ और प्रस्ताव को समझाया।

21/05/22

3.1.4. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 27(5) के अनुसार, चेन्नई में अपनी उपरोक्त गैर एसटीपीआई (NON STPI) इकाई के साथ आभासी निजी नेटवर्क ('VPN') बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

3.2. M/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। (GIL SEZ इकाई)

3.2.1. M/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने, नियम 27(5) एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, अपनी इकाई में बनाए गए, तीसरी, चौथी मंजिल, टॉवर-ए और 8वीं मंजिल, टॉवर-बी, बिल्डिंग नंबर 2, गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ), ग्राम डुंडाहेरा, सेक्टर -21, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित, आभासी निजी नेटवर्क ('VPN') के बुनियादी ढांचे को, गुरुग्राम, नोएडा और हैदराबाद में तीन एसईजेड (SEZ) इकाइयों और बैंगलोर और चेन्नई में दो गैर-एसटीपीआई (Non-STPI) इकाइयों के साथ, साझा करने का निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, :-

इकाई का नाम	एलओए (LOA) विवरण	क्षेत्र और स्थान
M/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (SEZ इकाई)	LOA संख्या 10/58/2016-SEZ/1274 dt.01.02.2017	दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 1 और 8 वीं मंजिल बिल्डिंग नंबर 2, कैडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड IT/ITES SEZ गांव टिकरी, सेक्टर -48, गुरुग्राम (हरियाणा)
/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (SEZ इकाई)	LOA संख्या 10/11/2011-SEZ/1322 dt. 17.02.2011	छठी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 3 और 7वीं मंजिल बिल्डिंग नंबर 9 और 7वीं और 8वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 7, सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट 20 और 21, सेक्टर- 135, नोएडा, उत्तर प्रदेश
/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (SEZ इकाई)	LOA संख्या 9/355/SE1HYD/2017 dt. 01.02.2017	12वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 1, और पहली और दूसरी मंजिल बिल्डिंग नंबर 2, एनएसएल (NSL) एसईजेड (SEZ) (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड IT/ITES SEZ, आईडीए (IDA) उप्पल, हैदराबाद
M/s R R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (बैंगलोर Non STPI इकाई)	Non-STPI पंजीकरण क्रमांक STPI/NSTP/BLR/17750/19237 dt. 25.09.2020	इंडीक्यूब - ओपस, चौथी मंजिल, संपत्ति संख्या 401, 402, 403, और 404, नगर संख्या 70/401, सर्वेक्षण संख्या 44/1 और 44/4 हेब्लल गांव, कसाबा होबली, बैंगलोर उत्तर तालुक, बैंगलोर में स्थित है।
M/s R R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई Non STPI इकाई)	Non-STPI पंजीकरण क्रमांक STPI/NS-C/22-23/623 dt. 09.05.2020.	8वीं मंजिल, यूनिट नंबर बी-801, दरवाजा नंबर 111, टावर बी, कॉमर्ज़ोन IT पार्क, सर्वे नंबर 25/3ए, 25/4एच5, 25/4एच6बी और 25/41, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चन्नई- 600116

3.2.2. इकाई ने सूचित किया है कि उक्त एसईजेड (SEZ) इकाई में VPN बुनियादी ढांचा के साथ निम्नलिखित कोर नेटवर्किंग उपकरण स्थापित किए गए हैं और उपरोक्त एसईजेड (SEZ) इकाइयों और (गैर एसटीपीआई/ Non STPI) इकाई के बीच साझा करने का प्रस्ताव है: -

विवरण	स्थान	सामान्य नेटवर्क उपकरण
-------	-------	-----------------------

रजिस्ट्रार

आभासी निजी नेटवर्क का बुनियादी ढांचा।	तीसरी, चौथी मंजिल, टॉवर-ए और 8वीं मंजिल, टॉवर-बी, बिल्डिंग नंबर 2, गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड आईटी / आईटीईएस एसईजेड गांव डुंडाहेरा, सेक्टर -21, गुरुग्राम (हरियाणा)	<ul style="list-style-type: none"> • फ़ायरवॉल • आईएसपी राउटर • कोर स्विच • एमपीएलएस राउटर • डीसी स्विच
---------------------------------------	---	---

3.2.3. श्री विमल शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक, M/s R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.2.4. अनुमोदन समिति ने देखा कि, एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 27(5) में प्रावधान है कि

एक इकाई घरेलू टैरिफ क्षेत्र से, एक केंद्रीय बनाने के लिए उपकरण के कर विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा उपयोग के एक केंद्रीय बनाने के लिए उपकरण के कर विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा उपयोग के सुविधा के लिए, सुविधा शुल्क के भुगतान के बिना, सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का, आयात या खरीद कर सकती है। जहां सॉफ्टवेयर विकास के लिए ऐसी सुविधा बनाई गई है, वहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र के सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

3.2.5. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने नियम 27(5) एसईजेड (SEZ) नियम, 2006, के अनुसार, उपरोक्त तीन एसईजेड (SEZ) इकाइयों और दो गैर-एसटीपीआई (Non STPI) इकाइयों के साथ आभासी निजी नेटवर्क ('VPN') बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

मद संख्या 4: इकाई के क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव: -

4.1 M/s एओएन (AON) कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड।

4.1.1. M/s एओएन (AON) कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कन्डोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी / आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) गांव टिकरी, सेक्टर- 48, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है, ने बिल्डिंग नंबर 2 में स्थित, 9वीं से 11 वीं मंजिल के कुल 81411 वर्गफुट स्वीकृत क्षेत्र से, 11 वीं मंजिल पर बिल्डिंग नंबर 2 के 27694 वर्गफुट के क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूनिट ने लागू करों/शुल्कों के भुगतान के बाद, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में स्थापित फर्नीचर और जुड़नार को SEZ विकासक के पास छोड़ने का भी प्रस्ताव किया है। एसईजेड (SEZ) विकासक ने उक्त स्थान को सौंपने और उसमें स्थापित फर्नीचर और जुड़नार को लागू करों/शुल्कों के भुगतान के बाद "जैसा है जहां है आधार" पर छोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है।

4.1.2. सुश्री सोनिका अरोड़ा, निदेशक-वित्त, M/s एओएन (AON) कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम (WFH) सुविधा के कारण उनके प्रबंधन ने उक्त स्थान को सरेंडर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे बताया कि स्वीकृत अनुमानों में कोई बदलाव नहीं होगा।

4.1.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से लागू करों/शुल्कों के भुगतान के बाद, भवन संख्या 2 में 11 वीं मंजिल पर 27694 वर्ग फुट, को आंशिक रूप से हटाने का और स्थापित फर्नीचर और जुड़नार को "जैसा है जहां है आधार" पर छोड़ने के प्रस्ताव को अनुमति दी। यह अनुमोदन, निर्दिष्ट अधिकारी से, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के अधीन है।

मद संख्या 5: एसईजेड के भवन योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव।

5.1. M/s डीएलएफ (DLF) साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड।

रा. जे. व. १

5.1.1. श्री हितेश शर्मा, सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) (एम) मुख्यालय, कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ ने मेमो नंबर SEZ-13/AD(RA)/2022/15757 दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से, मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड के गुरुग्राम (हरियाणा) के सेक्टर 24 और 25ए में 25.4606 एकड़ की आईटी/आईटीईएस सेज भूमि में भवन ए की संशोधित भवन योजना के अनुमोदन का प्रस्ताव पर टिप्पणियों/सिफारिशों को अग्रिष्ठित किया था। एसटीपी ने सिफारिश की है कि संशोधित भवन योजना को उनके उक्त मेमो दिनांक 06.06.2022 में उल्लिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया जा सकता है।

5.1.2. श्री तिलक खुराना, महाप्रबंधक, श्री पीताम्बर शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक और सुश्री निधि तिवारी, वास्तुकार, मैसर्स. डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होकर प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री राकेश बंसल, कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा ने सूचित किया है कि 12.07.2021 को आयोजित यूएसी द्वारा भवन-ए के भवन योजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था। अब, विकासक ने हरियाणा बिल्डिंग कोड (HBC) 2017 के तहत अतिरिक्त FAR प्राप्त कर लिया है। तदनुसार, भवन योजना को संशोधित किया गया है, जिसे डीटीसीपी, हरियाणा के कार्यालय द्वारा जांच की गई है और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है।

5.1.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने वरिष्ठ टाउन प्लानर, मुख्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ से प्राप्त सिफारिश के आधार पर डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड के गुरुग्राम (हरियाणा) के सेक्टर-24 और 25ए में आईटी / आईटीईएस सेज में बिल्डिंग-ए की संशोधित भवन योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन वरिष्ठ टाउन प्लानर (एम) मुख्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ के मेमो नंबर SEZ-13/AD(RA)/2022/15757 दिनांक 06.06.2022 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

मद संख्या 6: इकाई परिसर में कैफेटेरिया आदि की स्थापना/नियमित करने का प्रस्ताव: -

6.1: M/s स्ट्राइकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

6.1.1. M/s स्ट्राइकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने, निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 और SEZ नियम, 2006 के नियम 11(5) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ), M/s आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम बेहरामपुर, गुरुग्राम (हरियाणा), ब्लॉक-1 के यूनिट नंबर GF 06-07 में ग्राउंड फ्लोर पर 3880 वर्ग फुट के क्षेत्र में जलपान गृह का नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

6.1.2. श्री आदर्श, अधिकृत प्रतिनिधि, M/s स्ट्राइकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और बताया कि इस समय यूनिट की स्थापना में लगे कर्मचारियों द्वारा सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

6.1.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से इकाई के परिसर में 3880 वर्ग फुट के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए जलपान गृह के नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो उक्त कैफेटेरिया के नियमितीकरण के लिए एसईजेड (SEZ) विकासक से 'एनओसी' (NOC) जमा करने के अधीन है। अनुमोदन वैधानिक अनुपालन और इस शर्त के अधीन है कि न तो इकाई और न ही इसके विक्रेता ऐसी सुविधाओं के संचालन के लिए एसईजेड (SEZ) अधिनियम/एसईजेड (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के पात्र होंगे। निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत, इकाई को संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/मंजूरी/अनुमोदन जैसे आग, स्वास्थ्य आदि, यदि लागू हों, प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अधिकारी सत्यापित और सुनिश्चित करेगा कि इकाई के परिसर में उपरोक्त जलपान गृह में वैधानिक अनुपालन किया जा रहा है। अनुमोदन

(हस्ताक्षर)

समिति ने यह भी निर्देश दिया कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि इकाई ने पूर्वोक्त मौजूदा जलपान गृह (Cafeteria) के निर्माण और संचालन पर कोई शुल्क लाभ लिया है या नहीं। यदि कोई लाभ प्राप्त होता है तो उसकी वसूली की जाएगी।

6.2: M/s ईयूआई (EUI) लिमिटेड (यूनिट-I)

6.2.1. M/s ईयूआई (EUI) लिमिटेड (यूनिट- I) ने, एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11(5) के साथ पठित निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत, गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड आईटी / आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) में ग्राम डुंडाहेरा, सेक्टर -21, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित अपनी इकाई के परिसर में निम्नलिखित मौजूदा सुविधाओं के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। -

सुविधाएँ	क्षेत्र और स्थान
टक (Tuck) की टुकानों और रसोई सहित जलपान गृह क्षेत्र।	1153.04 वर्गफुट 5वीं मंजिल पर, टावर-बी, बिल्डिंग नंबर 6।
चिकित्सा कक्ष	5वीं मंजिल पर 98.20 वर्गफुट, टावर-बी, बिल्डिंग नंबर 6।
मनोरंजन कक्ष	5वीं मंजिल पर 970.88 वर्गफुट, टावर-बी, बिल्डिंग नंबर 6।

6.2.2. सुश्री हेमलता ओझा, वित्त प्रबंधक और श्री तेजस्वी आनंद, अधिकृत प्रतिनिधि, M/s ईयूआई (EUI) लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। प्रतिनिधियों ने बताया कि उक्त सुविधाएं 2012 से चल रही हैं और उन्होंने इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर लगभग 47 लाख रुपये का कर/शुल्क लाभ प्राप्त किया है। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वे इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर प्राप्त सभी कर / शुल्क लाभ वापस कर देंगे।

6.2.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से इकाई के परिसर में उपरोक्त सुविधाओं के नियमितीकरण के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि इकाई इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर प्राप्त सभी कर / शुल्क लाभ वापस कर देगी। अनुमोदन वैधानिक अनुपालन और इस शर्त के अधीन है कि न तो इकाई और न ही इसके विक्रेता ऐसी सुविधाओं के संचालन के लिए एसईजेड (SEZ) अधिनियम/एसईजेड (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे। इकाई को संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/मंजूरी/अनुमोदन जैसे आग, स्वास्थ्य आदि, यदि लागू हो, प्राप्त करना होगा, जैसा कि निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अधिकारी सत्यापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इकाई के परिसर में उपरोक्त जलपान गृह में वैधानिक अनुपालन किया जा रहा है। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि निर्दिष्ट अधिकारी उपरोक्त सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर इकाई द्वारा प्राप्त कर/शुल्क लाभों का सत्यापन करेंगे और उनकी वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

6.3: M/s ईयूआई (EUI) लिमिटेड (यूनिट-II)

6.3.1. M/s ईयूआई लिमिटेड (यूनिट-द्वितीय) ने, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के साथ पठित संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत, निर्देश के संदर्भ में आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) ग्राम डुंडाहेरा, सेक्टर -21, गुरुग्राम (हरियाणा) में गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड में स्थित अपनी इकाई के परिसर में निम्नलिखित मौजूदा सुविधाओं के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। -

सुविधाएँ	क्षेत्र और स्थान
----------	------------------

21/3/21

टक (Tuck) की दुकानों और रसोई सहित जलपान गृह क्षेत्र।	1604.63 वर्ग फुट चौथी मंजिल पर, टॉवर-बी, बिल्डिंग नंबर 6।
मनोरंजन कक्ष	696.18 वर्गफुट चौथी मंजिल पर, टावर-बी, बिल्डिंग नंबर 6

6.3.2. सुश्री हेमलता ओझा, वित्त प्रबंधक और श्री तेजस्वी आनंद, अधिकृत प्रतिनिधि, M/s ईयूआई (EUI) लिमिटेड के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया। प्रतिनिधियों ने बताया कि उक्त सुविधाएं 2019 से चल रही हैं और उन्होंने इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर लगभग 2.50 लाख रुपये का कर/शुल्क लाभ प्राप्त किया है। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वे इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर प्राप्त सभी कर / शुल्क लाभ वापस कर देंगे।

6.3.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से इकाई के परिसर में उपरोक्त सुविधाओं के नियमितीकरण के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि इकाई इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर प्राप्त सभी कर / शुल्क लाभ वापस कर देगी। अनुमोदन वैधानिक अनुपालन और इस शर्त के अधीन है कि न तो इकाई और न ही इसके विक्रेता ऐसी सुविधाओं के संचालन के लिए एसईजेड (SEZ) अधिनियम/एसईजेड (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे। इकाई को संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/मंजूरी/अनुमोदन जैसे आग, स्वास्थ्य आदि, यदि लागू हो, प्राप्त करना होगा, जैसा कि निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अधिकारी सत्यापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इकाई के परिसर में उपरोक्त जलपान गृह में वैधानिक अनुपालन किया जा रहा है। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि निर्दिष्ट अधिकारी उपरोक्त सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर इकाई द्वारा प्राप्त कर/शुल्क लाभों का सत्यापन करेंगे और उनकी वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

6.4: M/s Exl Service.com (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

6.4.1. मेसर्स एक्सल सर्विस डॉट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईटीईएस एसईजेड सेक्टर-24 और 25ए, डीएलएफ फेज-III, गुरुग्राम (हरियाणा) ने, अपने कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए, डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड आईटी में स्थित अपनी इकाई के परिसर में चौथी मंजिल, ब्लॉक-सी, बिल्डिंग नंबर 14 पर एचडीएफसी बैंक की एटीएम सुविधा की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूनिट ने अपने परिसर में 'एटीएम मशीन' की स्थापना के लिए एसईजेड सह-डेवलपर, मेसर्स डीएलएफ एसेट लिमिटेड से 'अनापत्ति' दिनांक 06.06.2022 की प्रति प्रस्तुत की थी। यूनिट ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के दिनांक 24.06.2022 के अनुरोध पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें यूनिट के परिसर में एटीएम की स्थापना के लिए अपनी सहमति देते हुए घोषणा की गई है कि बैंक एटीएम मशीन पर किसी भी शुल्क या लाभ या रियायत या छूट का लाभ नहीं उठाएगा। एटीएम से मुद्रा की निकासी भारतीय रुपये में आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में होगी।

6.4.2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियमों के नियम 11(5) के साथ पठित एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के प्रावधान के अनुसार इकाइयों के परिसर में एचडीएफसी बैंक की एटीएम सुविधा की स्थापना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। अनुमोदन वैधानिक अनुपालन और इस शर्त के अधीन है कि न तो इकाई और न ही एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एटीएम सुविधा के संचालन के लिए एसईजेड अधिनियम या एसईजेड नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होगा। निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत और यदि आवश्यक है, यूनिट और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र या मंजूरी या अनुमोदन जैसे आग, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करेंगे।

मद संख्या 7: पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव:

7.1: M/s कोल्ट टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड



7.1.1. कोल्ट टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) में ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है, अपनी इकाई के संबंध में स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मौजूदा और संशोधित अनुमान इस प्रकार हैं: -

(लाख रुपये में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी (FOB) मूल्य	144093.00	144093.00
विदेशी मुद्रा व्यय	8214.00	8214.00
एनएफई (NFE) आय	135879.00	135879.00
आयातित पूंजीगत सामान	1070.00	1070.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	250.00	250.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	12824.00	12824.00

7.1.2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से इकाई के स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मद संख्या 8: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटित करने/ऐसी स्वीकृतियों को रद्द करने का प्रस्ताव: -

8.1: M/s आईटीपीजी (ITPG) विकासक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक- बीकानेरवाला फूड्स

8.1.1. M/s आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ने एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार 'कैफेटेरिया' की स्थापना के लिए, आईटी/आईटीईएस एसईजेड, (IT/ITES SEZ) ग्राम बेहरामपुर, गुरुग्राम (हरियाणा) के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, प्रसंस्करण क्षेत्र में फूड कोर्ट एरिया इकाई नंबर GF-FC-02 में चरण-1 भवन के ब्लॉक -1 में M/s बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को 1500 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के आवंटन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। से।

8.1.2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, 'कैफेटेरिया' की स्थापना और संचालन के लिए M/s बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को 1500 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के आवंटन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन M/s बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि वे एसईजेड (SEZ) में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए एसईजेड (SEZ) योजना के तहत किसी भी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कर लाभ का दावा नहीं करेंगे। वह प्रस्तावित सुविधाओं के शुरू होने से पहले राज्य में लागू अपेक्षित लाइसेंस और अन्य मंजूरी प्राप्त करेंगे। वह राज्य और/या केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, जैसा भी मामला हो, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार खरीदे/बेचे गए सामान या प्रदान की गई सेवाओं का उचित रिकॉर्ड रखेंगे। अनुमोदन आगे इस शर्त के अधीन है कि एसईजेड (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए M/s बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। M/s बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड (SEZ) परिसर में ऐसी सुविधाओं के संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक एनओसी (NOC)/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से उसमें स्थित एसईजेड (SEZ) के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

8.2: M/s डीएलएफ (DLF) एसेट्स लिमिटेड सह-विकासक (डीएलएफ [DLF] लिमिटेड एसईजेड [SEZ]) - काल्स हॉस्पिटैलिटी।

8.2.1 M/s डीएलएफ (DLF) एसेट्स लिमिटेड, डीएलएफ (DLF) लिमिटेड के सह-विकासक, आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ) ग्राम-सिलोखेड़ा, सेक्टर -30, गुरुग्राम (हरियाणा) ने M/s काल्स हॉस्पिटैलिटी ओपीसी (OPC) प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन के लिए प्रदान किया गया उक्त एसईजेड (SEZ) के

21/09/11

ब्लॉक-ए3 में तीसरी मंजिल पर 23101 वर्गफीट के निर्मित स्थान 'फूड कोर्ट' की स्थापना और संचालन के लिए अनुमति पत्र संख्या 10/93/2007-SEZ/1435 दिनांक 12.02.2015 को रद्द करने का अनुरोध प्रस्तुत किया है। सह-विकासक ने सूचित किया है कि M/s क्लास हॉस्पिटैलिटी ओपीसी (OPC) प्राइवेट लिमिटेड ने उनके व्यक्तिगत कारणों से अपना फूड कोर्ट बंद कर दिया है और उन्हें आवंटित परिसर का शांतिपूर्ण, खाली और भौतिक कब्जा सौंप दिया है। सह-विकासक ने श्री समीर लांबा द्वारा हस्ताक्षरित हैंडओवर पत्र दिनांक शून्य की प्रति प्रस्तुत की है, जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं M/s क्लास हॉस्पिटैलिटी ओपीसी (OPC) प्राइवेट लिमिटेड और विधिवत सह-विकासक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।

8.2.2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति पत्र संख्या 10/93/2007-SEZ/1435 दिनांक 12.02.2015 को रद्द करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 9: निदेशकों में परिवर्तन की सूचना: -

9.1. M/s किङ्गल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

9.1.1. M/s किङ्गल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो ASF इन्सिग्रिया SEZ प्राइवेट लिमिटेड IT / ITES SEZ ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है, अपनी इकाई के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत की है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. श्री चैतन्य नंदीपुर श्रीनिवास	1. श्री लोंगराजू सेवकर
2. श्री लिंगराजू सेवकर	2. श्री सुभाष वैकटरमण
	3. सुश्री सुकन्या चौधरी

9.1.2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार कंपनी के निदेशकों में उपरोक्त परिवर्तनों पर ध्यान दिया।

मद संख्या 10: इकाई के एलओए (LOA) में अतिरिक्त मद को शामिल करने का प्रस्ताव:

10.1: M/s डेफसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

10.1.1. M/s डेफसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटी/आईटीईएस एसईजेड (IT/ITES SEZ), M/s जीटीवी (GTV) टेक एसईजेड (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम गमरोज, तहसील-सोहना, जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित, का अतिरिक्त अधिकृत संचालन यानी विनिर्माण सेवाएं (एग्री ड्रोन) को उनके एलओए (LOA) दिनांक 07.11.2014 में शामिल करने का प्रस्ताव, अनुमोदन समिति द्वारा 05.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में स्थगित कर दिया गया था और इकाई को गरुड़ एयरोस्पेस को डीजीसीए (DGCA) द्वारा जारी किए गए एग्री ड्रोन के लिए यूआईएन (UIN) प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया था। समिति ने इकाई को यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करने का निर्देश दिया कि एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 76 में उल्लिखित सेवाओं की किस श्रेणी के तहत प्रस्तावित सेवा गतिविधि शामिल है। इसके अलावा, समिति ने कृषि ड्रोन के निर्माण के लिए गरुड़ एयरोस्पेस को दी गई अनुमति / अनुज्ञप्ति के बारे में जानकारी मांगने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण को डीजीसीए (DGCA) को पत्र लिखने का निर्देश दिया। समिति ने इकाई और डीजीसीए (DGCA) से प्राप्त सूचना के बाद इसे फिर से यूएसी (UAC) में लेने का निर्णय लिया। तदनुसार, यूएसी (UAC) के निर्देशों को इस कार्यालय पत्र दिनांक 18.05.2022 के माध्यम से इकाई को सूचित किया गया था। 19.05.2022 को एक पत्र भी डीजीसीए (DGCA) को लिखा गया है जिसमें कृषि ड्रोन के निर्माण के लिए गरुड़ एयरोस्पेस को दी गई अनुमति / लाइसेंस के बारे में जानकारी मांगी गई है।

10.1.2. इकाई ने अपने पत्र दिनांक 12.05.2022 और उसके बाद के पत्र दिनांक 19.05.2022 द्वारा सूचित किया कि डीजीसीए (DGCA) विभिन्न कंपनियों को जारी यूआईएन (UIN) का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। इकाई

राजेश

ने आगे बताया कि सेवाओं की श्रेणी 'इंजीनियरिंग और डिजाइन' सेवाएं हैं, जो एसईजेड नियम, 2006 के नियम 76 के तहत विधिवत शामिल हैं। उड़ान योग्यता अधिकारी, ड्रोन निदेशालय, डीजीसीए (DGCA) मुख्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 20.06.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि यूएस (UAS) नियम, 2021 के लागू होने पर M/s गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को कोई आर एंड डी प्राधिकरण नहीं दिया गया था। ड्रोन नियम, 2021 के अनुसार, जिसने यूएस (UAS) नियम, 2021 को निरस्त कर दिया, विनिर्माण के लिए किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, ड्रोन मॉडल के पास डीजीसीए (DGCA) द्वारा जारी एक प्रकार का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जब तक कि इसे नियमों से छूट न दी गई हो। आज तक, M/s गरुड़ एयरोस्पेस को उनके किसी भी मॉडल के लिए किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) को दिनांक 01.06.2022 को एक पत्र लिखा गया था जिसमें निम्नलिखित जानकारी मांगी गई थी, जो अभी भी प्रतीक्षित है: -

- SEZ इकाई जो गैर SEZ इकाई (जो ड्रोन के असंबद्ध भागों का निर्माण करती है) के लिए कृषि-ड्रोन का संयोजन, एकीकरण और परीक्षण करती है, उसे DGCA या किसी अन्य एजेंसी से किसी लाइसेंस, अनुमति या परमिट की आवश्यकता होती है?
- गैर SEZ इकाई (गरुड़ एयरोस्पेस) के पास DGCA का UIN नंबर है। हालाँकि, क्या SEZ इकाई को भी UIN नंबर की आवश्यकता होती है।

10.1.3. श्री समर भार्गव, निदेशक और श्री योगेंद्र मित्तल, हेड-फाइनेंस का M/s डेफसीस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया। पूछे जाने पर, प्रतिनिधियों ने बताया कि इकाई को सीकेडी (CKD) किट में M/s गरुड़ एयरोस्पेस से ड्रोन प्राप्त होगा। इकाई इसे असेंबल करेगी और एसईजेड यूनिट की लैब में ही टेस्टिंग की जाएगी।


10.1.4. अनुमोदन समिति ने पाया कि M/s गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा उनके निर्माण के लिए डीजीसीए (DGCA) से प्रकार (Type) सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, एमओसीए (MOCA) से सूचना की प्रतीक्षा है। उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रशासनिक प्राधिकरण को एमओसीए (MOCA) से सूचना प्राप्त होने पर फाइल पर मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(राजेश कुमार)

उप. विकास आयुक्त



(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त